न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– दुर्गाशंकर मीना, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 88 / 17

1 खातून बेवा शमशेर खां, जाति मुसलमान, आयु 75 वर्ष, निवासी एक मिनार मस्जिद के पास, छावनी कोटा, राज0

(वादी)

बनाम

1 स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

दिनांक : 22.05.2018

निर्णय

वादिनी की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम आंवली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 151 की 15 बीघा भूमि दिनांक 27.09.1975 को वादिनी को आवंटित की गई थी और उसी रोज मौके पर दखल देकर गैर खातेदारी प्रदान की गई थी। आवंटन के 10 वर्ष बाद वादिनी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये, तब से वादिनी उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चली आ रही है। सेटलमेंट बाद आराजी खसरा नम्बर 268 की 2.40 है0 भूमि वादिनी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई जबकि सेटलमेंट से पूर्व वादिनी उक्त आराजी की खातेदार थी। इसलिये वादिनी इन्द्राज दुरूस्ती करवाकर पूर्ववत उक्त आराजी गैर खातेदारी से अपने खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारी है। सेटलमेंट विभाग को रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं, तथा सेटलमेंट द्वारा की गई इस प्रकार की गलती कानूनन शुरू से ही प्रभाव शून्य मानी गई है, इस आधार पर भी वादिनी इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर उक्त आराजी पूर्ववत अपने खातेदारी में दर्ज कराने की अधिकारी है।

आराजी गैर खातेदारी में दर्ज हो जाने से वादिनी को भूमि में विकास कार्य करने तथा लोन आदि स्वीकृत कराने में अत्यधिक असुविधा होती हैं, और सेटलमेंट द्वारा किये गये गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादिनी ने कई बार राजस्व अधिकारियों से इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किये गये, किन्तु इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की गई और दिनांक 02.06.2017 को तहसीलदार लाडपुरा ने इन्द्राज दुरूस्ती से स्पष्ट इनकार कर दिया। जिस पर वादिनी द्वारा लीगल नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 का प्रेषित कर इन्द्राज दुरूस्ती हेतु स्टेट ऑफ राजस्थान को सूचित किया गया, किन्तु मियाद नोटिस समाप्त होने के बावजूद भी इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की गई, इसलिये वादिनी को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु उक्त वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। स्टेट ऑफ राजस्थान लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है, जिसको बतौर प्रतिवादी वाद

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

पक्षकार बनाया गया है। प्रस्तुत वाद पेश करने का वाद कारण दौराने सेटलमेंट वादिनी के खातेदारी की आराजी का नया नम्बर 268 रकबा 2.40 हैक्टर कायम कर वादिनी के खातेदारी के स्थान पर गैरखातेदारी में दर्ज कर देने और तदुपरान्त वादिनी द्वारा अनुनय विनय के बावजूद राजस्व अधिकारियों द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती नहीं करने तथा दिनांक 02.06.2017 को तहसीलदार सा0 लाडपुरा द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती करने से इनकार कर देने और तदुपरान्त धारा 80 का लीगल नोटिस दिनांक 03.06.2017 को राजस्थान को प्रेषित करने और मियाद नोटिस दिनांक 02.08.2017 को समाप्त होने के बावजूद इन्द्राज दुरूस्ती नहीं करने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में, प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजी गत खसरा नम्बर 151 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम आवंली, तहसील लाडपुरा, जिसके सेटलमेंट बाद नया नम्बर 268 रकबा 2.40 हैक्टर कायम किया गया है, उसे वादिनी की गैर खातेदारी के स्थान पर पूर्ववत खातेदारी में दर्ज करते हुये वादिनी को उसका खातेदार घोषित करते हुये रिकार्ड में इसी अनुरूप दुरूस्ती एवं अमल दरामद किया जावे। वादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नानुसार दस्तावेज पेश किये –

1.	प्रदर्श–1	ग्राम आंवली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के वर्तमान खसरा नम्बर 465/268 रकबा 2.40 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076
2.	प्रदर्श–2	ग्राम आवंली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 151 के कुल रकबा में से वादिनी को आवंटित 15 बीघा आराजी को गैरखातेदारी में दर्ज किये जाने के स्वीकृति आदेश की प्रति।
3.	प्रदर्श–3	ग्राम आंवली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के गत खसरा नम्बर 151 रकबा 15 बीघा की नकल जमाबन्दी संवत 2032–2035
4.	प्रदर्श–4A	वादिनी को दिनांक 27.09.1975 को किये गये आराजी आवंटन पत्र की प्रति।
5.	प्रदर्श–5A	वादिनी के नाम जारी के.सी.सी. पासबुक की प्रति।
6.	प्रदर्श–8A	काश्त के लिये जमीन आवंटन का आवेदन पत्र जिसके पृष्ठ भाग में आवंटन कार्यवाही अंकित है।
7.	प्रदर्श–10	लीगल नोटिस की प्रति।

दौराने वाद, प्रकरण में प्रतिवादी की सूचना उपरान्त भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप वादी की ओर से साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गये। तदुपरान्त प्रकरण पर वादी वकील की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम आंवली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की जमाबन्दी संवत 2032–2035 के गत खसरा नम्बर 151 रकबा 15 बीघा आराजी वादिनी के खाते दर्ज रेकार्ड थी जिसे दौराने सेटलमेन्ट वादी की गैरखातेदारी में दर्ज कर दिया जो आदिनांक तक बदस्तूर जारी है। इस सम्बन्ध में वादी वकील द्वारा माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की नजीरें पेश कर निवेदन किया कि सेटलमेन्ट विभाग को यह अधिकार नहीं है कि सेटलमेन्ट के पूर्व के

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

इन्द्राज को विलोपित कर सके या उसमें रद्दोबदल कर सके। इसके समर्थन में आर.एल. डब्ल्यू. 2006 (1) आर.जे. 290, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 391, आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244, आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 151 एच.सी., आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244 एच.सी., व 200 आर.आर.टी. 1993 पेज 44 प्रस्तुत है। उक्त नजीरों के आधार पर सेटलमेन्ट को बिना विधिक प्रक्रिया के या बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रविष्टि में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने वादी वकील की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी सेटलमेन्ट के पूर्व ही वादिनी की खातेदारी में दर्ज हो चुकी थी जिसे सेटलमेन्ट के उपरान्त गैरखातेदारी में दर्ज कर दिया गया था। अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर ग्राम आवंली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के वर्तमान खसरा नम्बर 465/268 रकबा 2.40 हैक्टर आराजी की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर वादिनी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार पालना कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22 मई, 2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/5/18

(दुर्गा शंकर मीना)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री दुर्गा शंकर मीना, R.A.S.

बउनवान :–

खातून बेवा शमशेर खां, जाति मुसलमान, आयु 75 वर्ष, निवासी एक मिनार मस्जिद के पास, छावनी कोटा, राज0

(वादिनी)

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

दिनांक : 22.05.2018

निर्णय

दावा बाबत : 88, 89 RTA
मुकदमा नम्बर : 88/17
निर्णय दिनांक : 22-05-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 22–05–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा शंकर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर ग्राम आवंली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के वर्तमान खसरा नम्बर 465/268 रकबा 2.40 हैक्टर आराजी की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर वादिनी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार पालना कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 22.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

22/5/18

(दुर्गा शंकर मीना)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner